

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज 0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 21/2009

वादी :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. श्रीयाराम पुत्र लादूराम  
जाति-माली निवासी-लिलरिया  
(आ0कालू), तह.-जैतारण,  
जिला-पाली (राज.)

1. रामचन्द्र पुत्र हरदीन  
2. बाबूलाल पुत्र हरदीन  
3. धारुराम पुत्र हरदीन  
4. रामलाल पुत्र हरदीन  
5. दुर्गाराम पुत्र डुंगाराम  
6. शंकरलाल पुत्र डुंगाराम  
7. आईदान पुत्र डुंगाराम  
8. जेना बेवा पुखराज  
9. आयचुकी बेवा हुकमाराम फौत  
के कायम मुकाम :-  
9/1 हरिश गोद पुत्र हुकमाराम  
जातियान-माली, निवासी-लिलरिया  
(आ.कालू), तहसील-जैतारण  
10. गणपतलाल पुत्र बंशीलाल  
जाति-वैष्णव, निवासी-आ0कालू  
11. तहसीलदार, जैतारण  
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955,

ता0रजू: 19/02/2009

उपस्थित:- 1. श्री चुतराराम भाटी अधिवक्ता, वादी।

2 श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 26/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-लिलरिया, पटवार हल्का-आ0कालू-चक-एक, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की पैट्रिक पुश्तैनी खातेदारी व शामलाती कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 5 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 181 रकबा 11-13 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 389 रकबा 1-10 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 393 रकबा 1-06 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0-16 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 410 रकबा 00-12 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 446 रकबा 0-18 बीघा किस्म गै0मु0, कुल खसरा-6 कुल रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा की आई हुई हैं। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की पैट्रिक पुश्तैनी शामिलती आई हुई हैं। लेकिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का परिवार बड़ा होने से मौके पर अलग-अलग अपने अपने हिस्से माफिक काश्त करते हैं। खसरा नम्बर 446 रकबा 18 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन ग्राम-लिलरिया की आबादी के पास स्कूल के सामने होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 अपने 1/4 हिस्से अनुसार बाडे बनाकर गाये, भैसे, मवेशी बाधते है तथा अन्दर चारा बलिता डालते है। उक्त सम्पूर्ण भूमि का राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा नहीं होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के आपस में आये दिन विवाद होता है। वादी अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर बैंक से ऋण लेना चाहता है तथा अपने हिस्से की भूमि पर खाद डालकर उपजाऊ बनाना

  
उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

चाहता है। लेकिन प्रतिवादीगण वादी को बैंक से ऋण लेने व जमीन को उपजाऊ बनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं और राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करने से गना करते हैं जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकारी नहीं हैं। खसरा नंबर 446 पर प्रतिवादी संख्या एक से पांच बंटवाड़ा हुए बिना ही चुना, पत्थर एवं पट्टिये लाकर दिनांक 15/02/2009 को डाल दिये और वादी को ऐलालिया कहा कि मैं उक्त भूमि पर मकान बनाउंगा। जबकि प्रतिवादी संख्या एक से पांच के अलग से रहवासी मकान आबादी में बने हुए हैं। खसरा नंबर 446 रकबा 18 बिस्वा आबादी के पास होने से रोड की तरफ अकेला पक्का निर्माण करना चाहते हैं। जबकि प्रतिवादी संख्या एक से पांच को बंटवाड़ा किये बिना किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उसके उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या एक से पांच लाठी के बल पर जबरदस्ती कानूनी हाथ में लेकर शामलाती जमीन पर पक्का निर्माण करने पर उतारु है। मैटेरियल चुना, पत्थर पट्टिये डालकर नीचे खोदने पर उतारु हैं। गांव के मौजिज व्यक्तियों ने प्रतिवादी संख्या एक से पांच को समझाईश की, लेकिन प्रतिवादी संख्या एक में बताई गई सम्पूर्ण भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 से 9 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा व खसरा नंबर 5 में प्रतिवादी सं. 11 का 1/2 हिस्सा आया हुआ है। खसरा नंबर 5 में प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 10 का 1/4 हिस्सा आया हुआ है व वादी का 1/4 हिस्सा आया हुआ प्रतिवादी सं. 6 से 9 का खसरा नंबर 5 में कोई हिस्सा नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादी सं. 6 से 9 के पिता इगाराम ने अपने हिस्से की जमीन वादी को बैचान कर दी। इसी हिस्से माफिक मौके पर काबिज है इसलिए उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा किया जाकर मुण्डागडी कराई जाकर खाता व लगान अलग अलग की जाना जरूरी हैं अन्यथा मौके पर लड़ाई झगडा होगा, जिसे वादी जेर बार होगा। प्रतिवादी संख्या 12 तहसीलदार जी जैतारण लैण्ड लोड होने व दावा बंटवाड़ा का होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। वादी का बिनाय दावा दिनांक 15/02/2009 को जब प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने खसरा नंबर 446 में चुना, पत्थर व पट्टिये डालकर पक्का निर्माण करने की धमकी देने पर बमुकाम-लिलरिया में पैदा हुआ, जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार में है व वाद अन्दर मयाद पेश किया हैं।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आ0कालू में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा-लिलरिया, पटवार हल्का-आ0कालू-चक-एक, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की पैट्रिक पुश्तेनी खातेदारी व शामलाती कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 5 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 181 रकबा 11-13 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 389 रकबा 1-10 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 393 रकबा 1-06 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0-16 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 410 रकबा 00-12 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 446 रकबा 0-18 बीघा किस्म गै0मु0, कुल खसरा-6 कुल रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित हैं। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौप कर करावें। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया कि उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा / विभाजन प्रस्ताव पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रुबरु उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 26/06/2015 को ही पेश किया, सागिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

-:: आदेश ::-


अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-लिलरिया, पटवार हल्का-आ०कूल-चक-एक, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की पैट्रिक पुश्तेनी खातेदारी व शागलाती कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 5 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा किरम बारानी दोयम, खसरा नम्बर 181 रकबा 11-13 बीघा किरम चा०सो०, खसरा नम्बर 389 रकबा 1-10 बीघा किरम चा०सो०, खसरा नम्बर 393 रकबा 1-06 बीघा किरम चा०सो०, खसरा नम्बर 405 रकबा 0-16 बीघा किरम चा०सो०, खसरा नम्बर 410 रकबा 00-12 बीघा किरम चा०सो०, खसरा नम्बर 446 रकबा 0-18 बीघा किरम गै०मु०, कुल खसरा-6 कुल रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा का निम्नांकित रूप से बँटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किरम	लगान
1	रामचन्द्र बाबूलाल धारुराम रामलाल पि० हरदीन कौम-माली सा० देह खातेदार।	181/3	1-08-00	चा०सो०	10.01 रु०
		181/6	1-08-00	चा०सो०	
		389/3	0-08-00	चा०सो०	
		393/1	0-06-00	चा०सो०	
		405/3	0-04-00	चा०सो०	
		410/2	0-03-00	चा०सो०	
		5/1	2-14-00	बा०दो०	
योग		7	6-11-00		10.01 रु०
2	शंकरलाल दुर्गाराम आईदान पि० हूंगाराम जैना पत्नि पुखराज कौम-माली सा० देह खातेदार।	181/2	1-08-00	चा०सो०	10.01 रु०
		181/7	1-08-00	चा०सो०	
		389/1	0-07-00	चा०सो०	
		393/2	0-07-00	चा०सो०	
		405/1	0-04-00	चा०सो०	
		410/3	0-03-00	चा०सो०	
योग		6	3-17-00		10.01 रु०
3	गणपतलाल पुत्र बंशीलाल कौम-साद सा० देह खातेदार।	5/3	10-15-00	बा०दो०	3.33 रु०
4	हरिश गोद पुत्र हुकमाराम कौम-माली सा० देह खातेदार।	181	1-08-00	चा०सो०	10.01 रु०
		181/4	1-08-00	चा०सो०	
		389/2	0-08-00	चा०सो०	
		393	0-06-00	चा०सो०	
		405/2	0-04-00	चा०सो०	
		410/1	0-03-00	चा०सो०	
5	2-14-00	बा०दो०			
योग		7	6-11-00		10.01 रु०
5	खीयाराम पुत्र लादुराम कौम-माली सा० देह खातेदार।	181/1	1-08-00	चा०सो०	11.75 रु०
		181/5	1-08-00	चा०सो०	
		389	0-07-00	चा०सो०	
		393/3	0-07-00	चा०सो०	
		405	0-04-00	चा०सो०	
		410	0-03-00	चा०सो०	
		5/2	5-08-00	बा०दो०	
योग		7	9-05-00		11.75 रु०
6	रामचन्द्र बाबूलाल धारुराम रामलाल पि० हरदीन, शंकरलाल दुर्गाराम आईदान पि० हूंगाराम जैना पत्नि पुखराज, खीयाराम पुत्र लादुराम, हरिश गोद पुत्र हुकमाराम कौम-माली सा० देह खातेदार।	446	0-18-00	गै०मु०	1.17 रु०
		181/8	0-09-00	चा०सो०	
योग		2	1-07-00		1.17 रु०


  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जैतारण (पाली)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए रथाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।



  
उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण, जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 26/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि-आ0कालू पर सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जिला.पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :-

बनाम प्रतिवादीगण :-

1. खीयाराम पुत्र लादूराम

जाति-माली निवासी-लिलरिया

(आ0कालू), तह.-जैतारण,

जिला-पाली (राज.)

1. रामचन्द्र पुत्र हरदीन

2. बाबूलाल पुत्र हरदीन

3. धारुराम पुत्र हरदीन

4. रामलाल पुत्र हरदीन

5. दुर्गाराम पुत्र डुंगाराम

6. शंकरलाल पुत्र डुंगाराम

7. आईदान पुत्र डुंगाराम

8. जेना बेवा पुखराज

9. आयचुकी बेवा हुकमाराम फौत

के कायम मुकाम :-

9/1 हरिश गोद पुत्र हुकमाराम

जातियान-माली, निवासी-लिलरिया

(आ.कालू), तहसील-जैतारण

10. गणपतलाल पुत्र बंशीलाल

जाति-वैष्णव, निवासी-आ0कालू

11. तहसीलदार, जैतारण

तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई

मु0न0 :रा0वा0 स0:21/2009

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955,

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी श्री चुतराराम भाटी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-लिलरिया, पटवार हल्का-आ0कालू-चक-एक, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की पैट्रिक पुश्तेनी खातेदारी व शामलाती कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 5 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 181 रकबा 11-13 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 389 रकबा 1-10 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 393 रकबा 1-06 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0-16 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 410 रकबा 00-12 बीघा किस्म चा0सो0, खसरा नम्बर 446 रकबा 0-18 बीघा किस्म गै0मु0, कुल खसरा-6 कुल रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	रामचन्द्र बाबूलाल धारुराम रामलाल पि0 हरदीन कौम-माली सा0 देह खातेदार।	181/3	1-08-00	चा0सो0	10.01 रू0
		181/6	1-08-00	चा0सो0	
		389/3	0-08-00	चा0सो0	
		393/1	0-06-00	चा0सो0	
		405/3	0-04-00	चा0सो0	
		410/2	0-03-00	चा0सो0	
		5/1	2-14-00	बा0दो0	
योग		7	6-11-00		10.01 रू0

उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

2	शंकरलाल दुर्गाराम आईदान पि० इंगाराम जैना पत्नि पुखराज कौम-माली सा० देह खातेदार।	181/2 181/7 389/1 393/2 405/1 410/3	1-08-00 1-08-00 0-07-00 0-07-00 0-04-00 0-03-00	चा०सो० चा०सो० चा०सो० चा०सो० चा०सो० चा०सो०	10.01 रु०
योग		6	3-17-00		10.01 रु०
3	गणपतलाल पुत्र बंशीलाल कौम-साद सा० देह खातेदार।	5/3	10-15-00	बा०दो०	3.33 रु०
4	हरिश गोद पुत्र हुकमाराम कौम-माली सा० देह खातेदार।	181 181/4 389/2 393 405/2 410/1 5	1-08-00 1-08-00 0-08-00 0-06-00 0-04-00 0-03-00 2-14-00	चा०सो० चा०सो० चा०सो० चा०सो० चा०सो० चा०सो० बा०दो०	10.01 रु०
योग		7	6-11-00		10.01 रु०
5	खीयाराम पुत्र लादुराम कौम-माली सा० देह खातेदार।	181/1 181/5 389 393/3 405 410 5/2	1-08-00 1-08-00 0-07-00 0-07-00 0-04-00 0-03-00 5-08-00	चा०सो० चा०सो० चा०सो० चा०सो० चा०सो० चा०सो० बा०दो०	11.75 रु०
योग		7	9-05-00		11.75 रु०
6	रामचन्द्र बाबूलाल धारुराम रामलाल पि० हरदीन, शंकरलाल दुर्गाराम आईदान पि० इंगाराम जैना पत्नि पुखराज, खीयाराम पुत्र लादुराम, हरिश गोद पुत्र हुकमाराम कौम-माली सा० देह खातेदार।	446 181/8	0-18-00 0-09-00	गै०मु० चा०सो०	1.17 रु०
योग		2	1-07-00		1.17 रु०

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आ०कालू पर जारी किया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अदालत (पैसा)  
(जिला-पाली)

	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	- 00	स्टाम्प वकालतनामा	01	- 00
स्टाम्प वकालतनामा	01	- 00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	03	- 00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गयाहान		
खर्चा गयाहान	04	- 00	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुकमनामा		
बाबत ईजराय हुकमनामा	1	1	मुत्फरिक		
मिजान:-	09	- 00	मिजान:-	01	- 00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।